भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2689

04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

फ्लेक्स-फ्यूल और विद्युत वाहनों का विनिर्माण

2689. **श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:**

श्री राहुल कस्वां:

श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों, विद्युत वाहनों तथा उनसे संबंधित ऑटोमोबाइल कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए अब तक स्वीकृत परियोजनाओं, प्राप्त निवेश, उत्पादन क्षमता, सृजित रोजगार तथा प्राप्त प्रौद्योगिकीय विकास का श्रेणी-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बीस प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई चरणबद्ध राष्ट्रीय नीति तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल तथा विद्युत वाहनों को प्रोत्साहन दिए जाने के संबंध में कोई स्वतंत्र लागत-लाभ अध्ययन कराया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने एथेनॉल उत्पादन का जल उपभोग, कृषि भूमि उपयोग, खाद्य सुरक्षा, कार्बन उत्सर्जन, जैव-ईंधन आपूर्ति शृंखला तथा घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई समेकित वैज्ञानिक अध्ययन कराया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): ऑटोमोबिल एवं ऑटो घटकों (पीएलआई-ऑटो स्कीम) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम देश भर में कार्यान्वित की गई है। पीएलआई-ऑटो स्कीम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

मापदंड	दिनांक 31.03.2026 तक संचयी
निवेश (करोड़ रुपए)	44,326
वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष वित्तवर्ष 2019-20) (करोड़ रुपए)	52,414
सृजित रोजगार (संख्या)	67,820
वितरित प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपए)	2,386.36

घरेलू विनिर्माण तथा एएटी उत्पादों के स्थानीयकरण को बढ़ाने हेतु, पीएलआई ऑटो-स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) अनिवार्य है। दिनांक 28.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 18 आवेदकों ने 155 एएटी उत्पादों/उत्पाद प्रकारों के संबंध में डीवीए प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है।

(ख): भारी उद्योग मंत्रालय ने 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने वाले फ्लेक्स-फ़्यूल वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से कोई चरणबद्ध राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई है।

(ग): भारी उद्योग मंत्रालय ने फ़्लेक्स फ़्यूल और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए के संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(घ): सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें जल सततता, खाद्य सुरक्षा तथा किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अंतर्गत, एथेनॉल का उत्पादन विभिन्न अनुमोदित फीडस्टॉकों से किया जाता है, जिनमें गन्ना-आधारित फीडस्टॉक, मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, टूटा हुआ चावल, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) द्वारा अनुमोदित अधिशेष खाद्यान्न तथा अन्य अनुमोदित कृषि फीडस्टॉक शामिल हैं।

सरकार अपेक्षाकृत कम जल-गहन फीडस्टॉकों, जैसे मक्का, की ओर फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 में गठित एक विशेषज्ञ समिति ने एथेनॉल उत्पादन हेतु विभिन्न फीडस्टॉक फसलों की जल आवश्यकता का परीक्षण किया है तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान उसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' घटक के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई तथा अन्य जल संरक्षण उपायों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में भी वृद्धि की जा रही है। अनेक चीनी मिलें भी किसानों को जल-कुशल खेती पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

इंसिनरेशन बॉयलर्स से युक्त शीरा-आधारित आसवनी इकाइयों तथा अनाज-आधारित आसवनी इकाइयों के लिए शून्य द्रव अपशिष्ट उत्सर्जन (जेडएलडी) इकाइयों के रूप में संचालन करना अनिवार्य है, जिससे प्रसंस्करण में प्रयुक्त जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग सुनिश्चित होता है तथा द्रव अपशिष्ट का उत्सर्जन पूर्णतः समाप्त हो जाता है।

*****